

1. TSC / Swajaldhara
2. Committees & nodal officers
- 3.

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय भोपाल
आदेश

भोपाल,

दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 6-13/2003/34/1 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,

मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-19-92/03/1/4 दिनांक 1 अगस्त 2003 के अनुसार जिलास्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है इस परिपेक्ष्य में जिला एवं ग्राम स्तर पर पेयजल (स्वजलधारा) एवं स्वच्छता मिशन के कार्यों के निष्पादन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (क्यूब) एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (क्यूब) का गठन किया जाता है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का स्वरूप एवं दायित्व निम्नानुसार होगा :-

2. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (dwsm)

2.1 प्रत्येक जिले कि निर्वाचित जिला पंचायत को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन घोषित किया जाता है।

3. मिशन के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

- 3.1 यह सुनिश्चित कराना कि लिले में स्वजलधारा योजनांतर्गत पेयजल एवं समग्र स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र का आवश्यकतानुसार कार्ययोजनाए तैयार कराई जा रही है।
- 3.2 जिले अन्तर्गत विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं / हितग्राही समूह के द्वारा बनाई योजनाएं जिसका तकनीकी परिक्षण एवं अनुमोदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा हो चुका है, का संज्ञान लेना।
- 3.3 स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा करेगा।
- 3.4 मिशन केन्द्र सरकार राज्य शासन से प्राप्त होने वाली राशि के खाते की चार्टर अंकाउन्टेड द्वारा अंकेक्षित वार्षिक रिपोर्ट की वर्ष में एक बार समीक्षा करेगा।
- 3.5 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन कि वर्ष में कम से कम चार बैठके आयोजित की जावेंगी

4. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (dwsc)

- 4.1 जिला जल एवं स्वच्छता समिति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यपालिक समिति होगी। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ-8/9/2000/सत्रह/एम-2 दिनांक 28 नवम्बर 2001 द्वारा गठित जिला स्वस्थ समिति को जिला जल एवं स्वच्छता समिति घोषित किया जाता है। जल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य सचिव होंगे

5. समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा ।

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3	कार्यापालन यंत्री , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य सचिव
4	प्रभारी मंत्री द्वारा/जिला योजना समिति द्वारा मनोनीत एक विधायक	सदस्य
5	जिला पंचायत की स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष	सदस्य
6	जिला योजना समिति की स्वास्थ्य उप समिति के अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
8	सिविल सर्जन/अधिक्षक,जिला अस्पताल	सदस्य
9	जिला स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
10	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग	सदस्य
11	उप संचालक पंचायत	सदस्य
12	जिला जनसंपर्क अधिकारी	सदस्य
13	जिला महीला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
14	जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन/प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान । ।	सदस्य
15	उप संचालक,कृषि विभाग	सदस्य
16	जिला मुख्यालय में पदस्थ वन मंडल अधिकारी	सदस्य
17	मलेरीया,क्षय,कुष्ठ,एड्स,आर सी एच,अधत्व,परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों के जिला कार्यक्रम अधिकारी/नोडल अधिकारी	सदस्य
18	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन से अशासकीय । संस्थाओं के तीन सदस्य	सदस्य

6 जिला जल एवं स्वच्छता समिति के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

- 6.1 स्वजलधारा परियोजनाओं एवं समग्र स्वच्छता अभियान परियोजनाओं का संविन्यास करवाना (Formulation) तथा प्रबंधन (Management) अनुश्रवण (Monitoring) करना ।
- 6.2 स्वजलधारा परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों,हितग्राही समुह अरदि द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का परीक्षण एवं अनुमोदन
- 6.3 स्वच्छता अभियान अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यो स्वरूप लघु होगा,अतः इन कार्यो की स्वीकृति शासन आदेश113/एफ-16-34/2001/2/दिनांक 20.2.03के अनुसार पूर्ववत दी जायेगी। परियोजना के अंतर्गत ग्रामवार योजनाओं का परिक्षण एवं अनुमोदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा ।

- 6.4 सामाजिक प्रवृत्तिकरण (Social Mobilisation) क्षमता विकास (Capacity Develoment) संसूचना (IEC Activity) परियोजना प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक हेतु संस्थाओं एवं अशासकीय संस्थाओं का चुनाव एवं उनके साथ अनुबंध करना।
- 6.5 जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं जन साधारण को स्वजलधरा एवं समग्र स्वच्छता अभियान के सिद्धांतों/दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक बनाना, तथा इस क्षेत्र में सामाजिक चेतना लाने हेतु सतत अभियान चलाना।
- 6.6 सभी हितग्राही समूह की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिये संसूचना अभियान चलाने हेतु संस्थाओं को संलग्न करना।
- 6.7 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य शासन एवं भारत शासन के साथ संपर्क कायम करना।
- ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अन्य विकास विभागों में चलायी जा रही परियोजनाओं कार्यक्रमों का समन्वयन कर समग्र स्वच्छता हेतु ग्राम / जिला स्तरीय कार्य योजनाएं बनाना
- स्वजलधारा परियोजनांतर्गत एवं समग्र स्वच्छता अभियान के लिये पृथक पृथक बचत खाते भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंक में खोले जायेंगे जिनका संधारण भी पृथक पृथक किया जायेगा। भारत शासन से प्राप्त धनराशि लेखा जोखा भी पृथक पृथक संधारित कर इसका वार्षिक अंकेक्षण करवाया जायेगा। बैंक में खाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा संबंधित कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से परिचालित किया जावेगा।
- जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिला पंचायत/लाइन डिपार्टमेंट के कार्यालय परिसर, उपकरण, वाहन दूरभाष आदि का कार्यलयीन गतिविधियों हेतु उपयोग कर सकेगी।
- समिति द्वारा किसी भी वाहन अथवा चल/अचल की खरीदी/निर्माण नहीं किया जायेगा, आवश्यकता होने पर वाहनों की उपलब्धता किराये के वाहनों से की जायेगी।
- वाहनों के किराये, दूरभाष के देयक आदि का भुगतान समिति द्वारा परियोजना निधि से किया जा सकेगा, लेकिन किसी भी कर्मचारी / अधिकारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- इन योजनाओं से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिये संविदा पर विशेषज्ञ अनुबंधित किये जा सकेंगे। इसके लिये राशि का भुगतान योजना के प्रशासकीय/आई ई सी / एच आर डी मद से योजना काल के लिये किया जा सकेगा।
- जिलों को स्वजलधारा अंतर्गत उपलब्ध राशि जिला एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृति उपरांत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को किशतों में निर्गमित की जायेगी। द्वितीय किशत देते समय जिला जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से उपयोगिता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन प्राप्त करेगी एवं 15 दिनों के अंतर्गत अनिवार्यतः द्वितीय किशत जारी करेगी।
- समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम स्वास्थ्य समिति/पालक शिक्षक संघ / हितग्राही समूह को किशतों में निर्गमित करेगी।
- भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय पर जारी निर्देशों का समग्र रूप से पालन सुनिश्चित करेंगे। योजना गुणवत्ता एवं फीजिबिलिटी का समय समय पर आंकलन करना।
- जिले में स्थित कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिला जल स्वच्छता समिति को योजनाओं की परिकल्पना/प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति देने में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। जनपद पंचायत स्तर पर यह कार्य सहायक यंत्री/उपमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा समय

पर इन कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण किया जावेगा । जनपद पंचायत स्तर सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नोडल अधिकारी रहेंगे । इस संबंध में शासन द्वारा जारी प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृती के आदेश 113/ एफ-16-34/2001/2/दिनांक 20.2.2003 यथावत रहेंगे ।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा ग्राम समितियों को राशि जारी करते समय उसकी सूचना जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देगी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रत्येक माह ग्रामों से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी एकत्रित कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत करेंगे ।

7.1 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (टैंक)

7.1 मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 क अंतर्गत उल्लेखित स्थाई ग्राम विकास समिति ग्राम पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के रूप में स्वजलधारा का कार्य करेगी । इसमें कि ग्राम स्तर पर निष्पादित होने वाली योजनाओं का लाभ समुदाय के लोगों को समान रूप से प्राप्त हो सके ।

7.2 मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 क अंतर्गत उल्लेखित स्थाई ग्राम विकास समिति ग्राम पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के लधारा का कार्य करेगी । इसमें कि ग्राम स्तर पर निष्पादित होने वाली योजनाओं मुदाय के लोगों को समान रूप से प्राप्त हो सके

8. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के उत्तरदायित्व :-

8.1 यह समिति गाँव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एवं स्वच्छता का वातावरण निर्मित कराने के लिये उत्तरदायी होगी !

8.2 पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में नितियों कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के संबंध में जन जाग्रति पेदा करना !

8.3 सभी लोगो की पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों योजनाओं तक समान पहुँचाना सुनिश्चित करना !

8.4 स्वजलधारा समग्र स्पच्छता अभियान अंतर्गत ली गई योजनाओं का अनुमोदन ग्रामसभा से प्राप्त करना होगा ! क्रियान्वयन का विवरण प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में किया जाना सुनिश्चित करना !

8.5 योजना की गतिविधियों के प्रत्येक चरण में समुदाय की निर्णयात्मक भूमिका एवं सहयोग सुनिश्चित करना !

8.6 स्वजलधारा योजनाओं की लागत के अनुसार दैन्य सामुदायिक अंशदान की नगद राशि एवं भूमि, श्रम एवं सामग्री के रूप में आवश्यक अंशदान की व्यवस्था करना !

8.7 स्वजलधारा योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली राशि, सामुदायिक अंशदान की नगद राशि ग्राम विकास समिति द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रथक खाते में रखी जायेगी ! इसी प्रकार समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्राप्त राशि प्रथक बचत खाते में रखी जायेगी ! राशि आहरण के लिए तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर मान्य होंगे ! ये व्यक्ति कोषाध्यक्ष, ग्राम स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष एवं सरपंच होंगे ! राशि

आहरण करने के लिए न्यूनतम उपरोक्त तीन व्यक्तियों में किन्ही दो व्यक्तिय के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हागा। ग्राम विकास समिति एवं ग्राम स्वास्थ समिति को प्राप्त होने वाली संचालन एवं संधारण निधि एक पृथक खाता रखा जाएगा।

8.8 जिला योजना एवं स्वच्छता समिति के साथ विभिन्न अनुबंधों को संपादित करना।

8.9 पेय जल एवं स्वच्छता से संबंधित सभ्य योजनाओं की परिकल्पना रूपांकन एवं क्रियान्वयन संबंधी सभी गतिविधियों को सम्पादित करना ।

8.10 निर्माण से संबंधित सामग्री की व्यवस्था एवं आवश्यकता अनुसार ऐजेन्सी का चयन तथा निर्माण कार्यों से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण ।

8.11 समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भाला / आंगनवाडी स्वच्छता परिसर के निर्माण का कार्य पालक शिक्षक संघ द्वारा किया जाएगा। इसके लिये राशि दो किशतों में पालक शिक्षक संघ के खाते में जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दी जाएगी । भाला / आंगनवाडी स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए अंशदान के रूप में दी जाने वाली राशि पालक शिक्षक संघ / ग्राम पंचायत के द्वारा भी दी जा सकेगी । पालक शिक्षक संघ आंगनवाडी कार्यकर्ता , निर्मित भौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था करायेगा।

8.12 महिला परिसर का निर्माण ग्राम स्वास्थ्य समिति स्वयं अथवा हितग्राही समूह के माध्यम से करा सकती है। ग्राम स्वास्थ्य समिति / हितग्राही समूह परिसर की साफ सफाई के लिए व्यवस्था करेंगे।

8.13 व्यक्तिगत शौचालय हेतु प्रेरकों को प्रोत्साहन राशि एवं गरीबी रेखा से नीचे जावन यापन करने वाले परिवारों को देय राशि ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम स्वच्छता समिति के द्वारा दी जाएगी।

8.14 पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी कार्यों के पूरे होने पर जिला एवं स्वच्छता समिति के साथ संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से कार्यभार संभालना तथा उपयोग हेतु चालू करना । स्वजधारा योजना के अंतर्गत संचालन एवं संधारण हेतु पृथक खाता रखा जाएगा ।

8.15 जल प्रदाय एवं स्वच्छता से संबंधित सभी कार्यों के संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम सभा के अनुमोदन से , भुल्लक , अधिभार अधिरोपित कर , दोनों जमा करने की व्यवस्था बनाना एवं इस माध्यम से निधि एकत्रित करना । निर्मित सुविधाओं का सक्षम एवं सफल संचालन सुनिश्चित करना । इस संबंध में महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देना।

8.16 ग्राम क्षेत्र में पेयजल , स्वच्छता एवं स्वस्थ से संबंधित कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना एवं गतिविधियों को बढ़ावा देना।

8.17 अन्य ग्रामों में संसूचना एवं विकास कार्यों से संबंधित गतिविधियों में सहयाग दमना।

8.18 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाती बाहुल्य वाले मुहल्लों / बसाहटों में पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता के कार्य प्राथमिकता से लिये जावेगें।

8.19 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के उक्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, ग्राम पंचायत / ग्राम सभा / ग्राम स्वास्थ्य समिति / पालक शिक्षक संघ / हितग्राही